



दस्तावेज संख्या: १५७/२०२३ बनाम शमेश्वर कोटरे


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड
केस संख्या १५७/२०२३ अधीन १५७ L.R.A.५

स० दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२१/७/२३	<p>राजस्व (ग्रुप-१) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक ०५.०८.२०२३ के अनुसार दिनांक ०७.०८.२०२३ से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर <u>अ. लाल</u> से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>२९/११/२३</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	<p style="text-align: right;">373,374 25/11/23</p>
२५/७/२३	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य सचकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <u>अ. लाल</u> दिनांक <u>३१/११/२३</u> को पेश है।</p>	
३१-१-२४	<p>पत्रावली पेश की गई। अधीनस्थ की मेर से के २५ उपस्थित थी है। अर्जोडे-२ की मेर से अधीनस्थ पुत्र लक्ष्मण लाल के उपस्थित देखा जा रहा है। पत्रावली वास्ते <u>अ. लाल</u> दिनांक <u>३१/११/२३</u> को पेश है। प्रकरण को लॉरिज करने हेतु निवेदन करते हुए सत्री के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। अधीनस्थ को न्यायालय से नोडिस जारी किया है। अधीनस्थ को न्यायालय के निवासी होने से लॉरिज नहीं हो रही है। अधीनस्थ को नोडिस जारी किया है। अधीनस्थ को पत्रावली दिनांक ३१/११/२३ को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	

..... हरशार वजरे बनाम रामेश्वर वजरे

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड़

केस संख्या 197 / 2023 अमीन

क0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/11/24	<p>पत्रावली साज पेश हुई। वेस्टोड-2 की मोर से श्री गिरिश ज पूरा रामेश्वर वजरे ने अपने मापिकता श्री सोमपुकारा सेनी के साथ उपस्थित आते। अमीनाज की मोर से कोई उपस्थित नहीं है। श्री गिरिश ज के मापिकता ने दिनांक 31/11/24 को पेश शा-पर लाकत भंडार पर हुका गमा तथा पत्रावली का दस्तावेज दिनांक 31/11/24 के साथ पेश मृत्यु प्रमाण पत्र की जांचा गते के लक्ष्य से दस्तावेज से सभी वेस्टोड-2 एवं 1 से 6 की मृत्यु रोग स्पष्ट जासिद होता है तथा अमीनाज के द्वारा कोई पार्थक्य पर कर्म पुष्कत का पेश नहीं किया गया है। शत प्रकार यह मजिद। प्रमाण भंडार होना बखूबी साक्षर होती है।</p> <p>तथा अमीनाज की मजिद भंडार होके से कोरेज की जाती है पत्रावली के साथ हुका होकर साक्षिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ </p>